प्रेषक,

जिलाधिकारी
मुरादाबाद।

सेवा में,

1. अपर जिलाधिकारी नगर
2. अपर जिलाधिकारी प्रशासन
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी
4. नोडल अधिकारी एन.टी.सी.पी. मुरादाबाद
5. पुलिस अधीक्षक नगर
6. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण
7. जिला विद्यालय निरीक्षक
8. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
9. जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी
10. नगर स्वास्थ्य अधिकारी
11. वाणिज्य कर अधिकारी (G.S.T.)
12. जिला शासकीय अधिवक्ता / सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि
13. जनपद सलाहकार एन.टी.सी.पी. मुरादाबाद

<u>पत्रांक संख्या– जि.क.क./एन.टी.सी.पी./2017/ मुरादाबाद: दिनांक 29/12/2017</u>

विषय: सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम– 2003 (COTPA) को जनपद मुरादाबाद में प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु जनपद स्तरीय सचल दल के गठन के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश की जनता एवं युवा वर्ग को सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों से होने वाले दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाने हेतु भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम– 2003 (COTPA) को मई 2003 में लागू किया था। इस विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना है की उक्त अधिनियम मुरादाबाद में प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के संबंध में युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में जनपद मुरादाबाद में एक सचल दल का गठन दिनांक 28/12/2017 को अनुमोदित किया जा चूका है जिसकी अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी नगर / अपर जिलाधिकारी प्रशासन (ग्रामीण) करेंगे साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी / नोडल अधिकारी एन.टी.सी.पी. मुरादाबाद सदस्य सचिव होंगे इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नगर / पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी (G.S.T.), जिला शासकीय अधिवक्ता / सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और जनपद सलाहकार एन.टी.सी.पी. मुरादाबाद सचल दल के सदस्य होंगे।

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम- 2003 (COTPA) को जनपद में क्रियान्वयन कराने का दायित्व सचल दल का होगा।

<u>जनपद में सचल दल द्वारा COTPA - 2003 की निम्नलिखित धाराओं का क्रियान्वयन किया जायेगा -</u>

धारा–4 सार्वजनिक स्थानों पर "धूम्रपान निषेध है," जैसे– सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन केंद्र, रेस्टोरेंट, शासकीय कार्यालय, न्यायालय परिसर, शिक्षा संस्थानों, पुस्तकालय, लोक

परिवहन, अन्य कार्य स्थल एवं कार्यालय आदि धूम्रपान निषेध क्षेत्र में आते हैं। इन सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र की सूचना लगाया जाना अनिवार्य है।

धारा–5 तम्बाकू उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन प्रयोजन एवं प्रोत्साहन करना पूर्णतया निषेध है। अतएव प्रचार प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

धारा–6(अ) 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है।

धारा–6(ब) शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है। इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाये। इसके लिए स्कूल परिसर के बाउंड्रीवाल पर प्रबंधक अथवा प्रभारी द्वारा भारतीय भाषा में जो पठनीय हो, 60c.m.X45c.m. का न्यूनतम आकर का बोर्ड, सार्वजनिक स्थान के प्रवेश द्वार पर तथा एक बोर्ड अन्दर मुख्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाये, जिस पर यह चेतावनी "यह - धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र है, यहाँ धूम्रपान करना अपराध है" दी गई हो।

धारा–7 तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी चाहिए।

धारा–21 व 24 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने तथा किसी अवयस्क व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू बेचने के अपराध में रुपए 200/- तक का जुर्माना हो सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अधिनियम का जनपद मुरादाबाद में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रत्येक माह को अपर जिला अधिकारी नगर अथवा अपर जिला अधिकारी प्रशासन (ग्रामीण) अपनी अध्यक्षता में सचल दल कमेटी की बैठक करायें एवं कृत कार्यवाही से जिला नोडल अधिकारी अथवा जनपद सलाहकार जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मुरादाबाद को पत्र एवं ई–मेल– ntcpmoradabad@gmail.com पर प्रगति से अवगत कराने का कष्ट करें ताकि विस्तृत रिपोर्ट संकलित कर राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम लखनऊ, उ.प्र. को प्रेषित की जा सके।

आपके संज्ञान में यह लाना है कि धूम्रपान निषेध अधिनियम के अंतर्गत वसूले गए जुर्माने की धनराशि कोषागार रसीद संख्या– 385 पर लेखाषिर्षक–0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04– लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्रतियाँ में जमा किया जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित तम्बाकू नियंत्रण सचल दल समिति एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र।

भवदीय

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी (IAS)
मुरादाबाद।

पत्र सं.:– जि.क.क./एन.टी.सी.पी./2017/ मुरादाबाद तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित -

1. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ.प्र.।
3. संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य) / राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ.प्र.।
4. राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ.प्र.।

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी (IAS)
मुरादाबाद।